

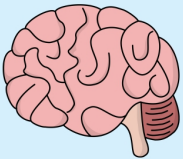
31st मई



विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

आप सिगरेट को नहीं सिगरेट आपको पीती है!

तम्बाकू के दुष्परिणाम



BRAIN DAMAGE



LUNG CANCER



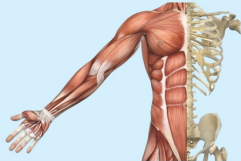
HEART DISEASE



LARYNX CANCER



GI DISEASE



BONE AND MUSCLE



SEXUAL DYSFUNCTION



CANCER



DEATH

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

व्यक्तिगत अपराधी को : रु. 200 / -

मालिक, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए : सार्वजनिक स्थान पर अपराधों की संख्या के ठीक बराबर



सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

पहला अपराध : 2 वर्ष / रु. 1000 / -

दूसरा अपराध : 5 वर्ष / रु. 5000 / -

शैक्षिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध

रु. 200 / - तक

निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

(अ) एक विनिर्माता :

पहला अपराध : 2 वर्ष / रु. 5000 / -

दूसरा अपराध : 5 वर्ष / रु. 10,000 / -

(ब) बेचना / खुदरा बिक्री :

पहला अपराध : 2 वर्ष / रु. 1000 / -

दूसरा अपराध : 5 वर्ष / रु. 3000 / -



जनहित में जारी:

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com



website
www.rlsa.gov.in

हेल्प लाईन नं.
9928900900